करेंट अफेयर्स 26जुलाई 2022

विदेशी मुद्रा भंडार

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-III (भंडार, विकास और विकास का जुटाव)

आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर 572 अरब डॉलर रह गया।

विदेशी मुद्रा भंडार (विदेशी मुद्रा भंडार) के बारे में

- विदेशी मुद्रा भंडार **विदेशी मुद्राओं में एक केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित पर आयोजित संपत्ति है,** जिसमें बांड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।
- यह ध्यान देने की जरूरत है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखे जाते हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:

1. **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों**
2. **सोने के भंडार**
3. **विशेष आहरण अधिकार:** SDR न तो एक मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर एक दावा है. इसके बजाय, यह आईएमएफ सदस्यों की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिए SDRs का आदान-प्रदान किया जा सकता है। **एसडीआर के मूल्य की गणना प्रमुख मुद्राओं की भारित टोकरी से की जाती है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन और ब्रिटिश पाउंड शामिल हैं।**
4. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ आरक्षित स्थिति:** यह उस देश की मुद्रा के IMF की होल्डिंग्स और देश के IMF-नामित कोटा के बीच का अंतर है।

विदेशी मुद्रा भंडार की भूमिका

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरबीआई के पास बैकअप फंड है यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा तेजी से अवमूल्यन करती है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है।
- यदि विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि के कारण रुपये का मूल्य कम हो जाता है, तो आरबीआई भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचता है ताकि भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास को रोका जा सके।
- विदेशी मुद्रा के अच्छे स्टॉक वाले देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि है क्योंकि व्यापारिक देश अपने भुगतान के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं।
- एक अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी व्यापार को आकर्षित करने में मदद करता है और व्यापार भागीदारों में एक अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करने वाले कारक

- **एफडीआई प्रवाह:** अधिक एफपीआई प्रवाह विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है।
- **कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट:** चूंकि भारत एक तेल आयात करने वाली मुद्रा है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाती है।
- **आयात बचत:** आयात में कमी से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है।
- **एफडीआई प्रवाह:** अधिक से अधिक एफडीआई प्रवाह, अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होगा।
- **सोने के आयात में गिरावट:** सोना भारत के लिए एक बड़ा आयात घटक है। सोने के आयात में गिरावट विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करती है।

भारतीय अंटार्कटिक बिल 2022

सिलेबस: जीएस पेपर-III (संरक्षण)

संदर्भ: लोकसभा ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अपने दायित्वों के तहत भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022 पारित किया।

उद्देश्यों

अंटार्कटिका को असैन्यीकृत करने के लिए, इसे परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करें, और यह सुनिश्चित करें कि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है; अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवादों को अलग करने के लिए।

कानून बनाने की जरूरत

- अंटार्कटिक **संधि (1959 में हस्ताक्षरित और 1961 में लागू)** ने 54 हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट कानूनों को पारित करना अनिवार्य बना दिया, जिन पर उनके स्टेशन स्थित हैं।
- **भारत ने 1983 में संधि पर हस्ताक्षर किए**थे, इसलिए प्राचीन अंटार्कटिक पर्यावरण और इसके चारों ओर महासागर को संरक्षित करने के लिए एक कानून की आवश्यकता थी।
- भारत **अंटार्कटिका अनुसंधान की राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम (COMNAP) वैज्ञानिक समिति (SCAR) के प्रबंधकों की अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधन परिषद के संरक्षण के लिए आयोग का भी सदस्य है।**

बिल की प्रमुख विशेषताएं

प्रयोज्यता:

- यह किसी भी व्यक्ति, विदेशियों, निगमों, फर्मों, जहाजों या विमानों पर लागू होगा जो अंटार्कटिका के लिए एक भारतीय अभियान का हिस्सा है।

केंद्रीय समिति: 10 सदस्य (विभिन्न मंत्रालयों से नामित किए जाने के लिए) + दो विशेषज्ञ (अंटार्कटिक पर) + अध्यक्ष (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव)।

- यह परमिट देगा, **अनुपालन सुनिश्चित करेगा और संधि के पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की समीक्षा करेगा**।
- अंटार्कटिका **के लिए निजी पर्यटन और अभियानों को** एक सदस्य देश द्वारा परमिट या लिखित प्राधिकरण के बिना निषिद्ध किया जाएगा।
- पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार किए जाने के बाद ही परमिट प्रदान किया जा सकता है।

निषिद्ध गतिविधियाँ:

- इस विधेयक में अंटार्कटिका में कतिपय कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें **नाभिकीय विस्फोट या रेडियोधर्मी अपशिष्टों के निपटान को समुद्र में कचरे, प्लास्टिक या अन्य पदार्थों के गैर-बाँझ मिट्टी के निर्वहन की शुरूआत** शामिल है जो समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

अपराध और दंड (अंटार्कटिका के लिए भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार):

- अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 साल की कैद और कम से कम 50 करोड़ रुपये के जुर्माने तक की सजा हो सकती है।
- **खनिज संसाधनों के लिए ड्रिलिंग या अंटार्कटिका में बिना परमिट के गैर-देशी जानवरों या पौधों को पेश** करने पर सात साल तक की कैद और 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच के जुर्माने की सजा हो सकती है।

- केंद्र सरकार विधेयक के तहत एक या एक से अधिक सत्र न्यायालयों को नामित न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर सकती है और विधेयक के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने के लिए अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को निर्दिष्ट कर सकती है।

अंटार्कटिक निधि:

- अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण और अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करता है।

अंटार्कटिक संधि के बारे में

- अंटार्कटिका 60 डिग्री सेल्सियस अक्षांश के दक्षिण में भूमि और बर्फ की अलमारियों के सभी है.

अंटार्कटिक संधि **पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के**बीच हस्ताक्षर किए गए थे या अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित करने के लिए एक असैन्यीकृत क्षेत्र बना दिया गया था।

- बारह मूल हस्ताक्षरकर्ता **अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत समाजवादी गणराज्यों के संघ, ब्रिटेन और अमेरिका हैं।**
- यह **1961 में लागू हुआ** और तब से कई अन्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया है।
- **मुख्यालय:** ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना।

सदस्य**: 54 देश।**

- **प्रमुख प्रावधान:**

1. वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
2. देश केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए महाद्वीप का उपयोग कर सकते हैं।
3. सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान का निषेध।
4. क्षेत्रीय संप्रभुता को बेअसर करने का मतलब है कि किसी भी नए दावे या मौजूदा दावे के विस्तार पर एक सीमा रखी गई थी।
5. यह महाद्वीप पर अपने क्षेत्रों पर दावेदारों के बीच किसी भी विवाद पर एक फ्रीज डाल दिया.

भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम के बारे में

- नोडल एजेंसी: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय **के तहत अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीओआर) (1998 में स्थापित)।**
- **दक्षिण गंगोत्री**:

दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। यह कमजोर हो गया है और सिर्फ एक आपूर्ति आधार बन गया है।

- **मैत्री:**

मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे 1989 में बनाया और समाप्त किया गया था। मैत्री चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे शिर्माचेर ओएसिस कहा जाता है। भारत ने मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील का भी निर्माण किया, जिसे प्रियदर्शिनी झील के रूप में जाना जाता है।

- **भारती:**

  भारती, 2012 के बाद से भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन ऑपरेशन। यह कठोर मौसम के बावजूद शोधकर्ताओं को सुरक्षा में काम करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किमी पूर्व में स्थित है।

- **सागर निधि:**

  2008 में, भारत ने सागर निधि, एक बर्फ वर्ग के जहाज को कमीशन किया, जो 40 सेमी गहराई की पतली बर्फ के माध्यम से काट सकता है और अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय जहाज है।

प्रीलिम्स तथ्य

हैजा

- **भारत और ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने हैजा के लिए जिम्मेदार O139 के जीनोम का अध्ययन किया।**
- हैजा एक तीव्र दस्त संक्रमण है जो **बैक्टीरिया Vibrio कोलेरा** से दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण होता है।
- **लक्षण:** उच्च बुखार, डब्ल्यूआठ हानि, प्यास में वृद्धि, मतली महसूस करना, उल्टी सनसनी, पेट में सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन विकसित करना, रक्त या बलगम का गठन या कभी-कभी मल में अपच्य सामग्री।
- **रोकथाम और नियंत्रण:** निगरानी, सुरक्षित पानी, स्वच्छता और स्वच्छता, सामाजिक लामबंदी, और मौखिक हैजा टीकों का संयोजन।

हिम तेंदुआ

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार, हिम तेंदुआ अपने **शाकाहारी शिकार प्रजातियों-साइबेरियाई आईबेक्स और ब्लू शीप** की आबादी को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, हिम तेंदुओं की दीर्घकालिक अनुपस्थिति वनस्पति कवर की कमी का कारण बन सकती है।
- **वैज्ञानिक नाम: Panthera uncia**
- **शीर्ष शिकारी:** हिम तेंदुए पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं जिसमें वे रहते हैं, खाद्य वेब में शीर्ष शिकारी के रूप में उनकी स्थिति के कारण।
- **निवास स्थान**: मध्य और दक्षिणी एशिया के पहाड़ी क्षेत्र.
- हिम तेंदुए को **IUCN-विश्व संरक्षण संघ की खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।**
- इसके अलावा, यह **लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I** में भी सूचीबद्ध है।
- **इसे भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।**
- इसे प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (सीएमएस) में भी सूचीबद्ध किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर और भारत दोनों में प्रजातियों को उच्चतम संरक्षण का दर्जा प्रदान करता है।

WENTIAN

चीन ने हाल ही में **अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन 'तियांगोंग' के लिए तीन मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है जो 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा।**

- मॉड्यूल को वेंटियन नाम दिया गया है।
- यह स्टेशन पर चालक दल के रोटेशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अल्पकालिक रहने वाले क्वार्टर के रूप में काम करेगा।